पत्रांकः 4249/33–पी0एम0यू0–2013–465/2009

प्रेषक,

माजिद अली,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष,
पी0एम0यू0, बी0आर0जी0एफ0, उ0प्र0।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, कासगंज एवं उन्नाव।

परियोजना प्रबन्ध इकाई (बी0आर0जी0एफ0) लखनऊः दिनांक 25 फरवरी, 2013

विषय–पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 की वार्षिक कार्ययोजना में अनुमोदित ग्राम पंचायत सचिवालयों के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक दिनांक 06.02.2013 में ग्राम पंचायत सचिवालयों के निर्माण के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

"विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्ष 2012–13 की कार्ययोजना में पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत सचिवालयों का प्रस्ताव किया गया है परन्तु अभी भी काफी परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है। पंचायतीराज विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अभी तक निर्मित ग्राम पंचायत सचिवालयों का समुचित उपयोग नही हो पा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में इस समिति का यह स्पष्ट मत है कि ग्राम पंचायत सचिवालय पर व्यय इस योजना (BRGF) की धनराशि का दुरूपयोग होगा क्योंकि इसका उपयोग जनता के किसी भी हित के लिए नही हो पा रहा है, जबकि इससे कही अधिक महत्वपूर्ण क्रिटिकल गैप्स अवशेष है। अतः इस संबंध में भारत सरकार को अवगत करा दिया जाए कि HPC इन परियोजनाओं (ग्राम पंचायत सचिवालय)पर सहमति देने में असमर्थ है तथा HPC की यह स्पष्ट संस्तुति है कि इन परियोजनाओं के स्थान पर अन्य उपयोगी परियोजनाओं को प्रस्तावित किया जाये।"

उक्त निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजना समिति द्वारा बी0आर0जी0एफ0 की वर्ष 2012–13 की वार्षिक कार्ययोजना में अनुमोदित ग्राम पंचायत सचिवालयों की परियोजनाओं पर कार्य नहीं कराया जाए और उनके स्थान पर अन्य उपयोगी परियोजनाओं का चयन आवश्यकतानुसार जिला योजना समिति से करा लिया जाए।

कृपया पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत क्षमता विकास एवं विकास अनुदान से सम्बन्धित समस्त कार्यों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में उक्त समिति के माध्यम से कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(माजिद अली)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 686/33–3–2013– तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/नगर विकास/ ग्राम्य विकास विभाग/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/लघु सिचांई, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, बी0आर0जी0एफ0 मण्डल।
5. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक पंचायतीराज (लेखा) उ0प्र0 लखनऊ।
9. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 शासन।
10. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), बी0आर0जी0एफ0 मण्डल, उ0प्र0।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद, उ0प्र0।
12. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बी0आर0जी0एफ0 जनपद, उ0प्र0।
13. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद, उ0प्र0।
14. पंचायतीराज अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
15. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(डी0के0सिंह)
विशेष सचिव।

Gen 1